झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

अधिसूचना

3233

दिनांक 5/9/18

विभागीय अधिसूचना सं०– 2588, दिनांक– 30.08.17 द्वारा झारखण्ड राज्य में सी०एन०टी० एक्ट में जनजातीय समुदाय के लोग आवासीय उद्देश्य से एक अधिसूचित थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की क्रय–विक्रय के प्रावधानों को थाना क्षेत्र के अन्तर्गत की बाध्यता तथा एस०पी०टी० एक्ट में संथाल परगना में गैर जनजातीय लोगों के द्वारा गैर जनजातीय लोगों को आवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय–विक्रय के प्रावधानों पर अपेक्षित संशोधनों पर विचार विमर्श हेतु माननीय मंत्री–सह–उपाध्यक्ष श्रीमती डॉ० लुईस मराण्डी की अध्यक्षता में गठित उप समिति के कार्यकाल को पत्र निर्गत की तिथि से तीन माह की अवधि विस्तार प्रदान की जाती है।

2. विभागीय अधिसूचना सं०– 2588, दिनांक– 30.08.17 की शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : 2/टी०ए०सी० –01/2018 (खण्ड) 3233 राँची, दिनांक : 5/9/18

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कल्याण विभाग के आप्त सचिव/समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य/ मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/ विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, झारखण्ड/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड /आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग -3306

अधिसूचना

दिनांक 10/9/18

झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की दिनांक– 03.08.2018 को हुए बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य में जनजातीय जनसंख्या में वर्ष 1947 से अबतक हो रहे क्रमिक ह्रास पर विश्लेषण एवं अध्ययन के लिए गठित उप समिति के कार्यकाल को पत्र निर्गत की तिथि से छः माह के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री–सह– अध्यक्ष, झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
3. विभागीय अधिसूचना सं०– 2589, दिनांक– 30.08.17 में समिति का कार्यकाल के अतिरिक्त अन्य सभी बिन्दु एवं निर्देश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : 2/टी०ए०सी० (उप समिति)–114/2017 3306 राँची, दिनांक : 10/9/18

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कल्याण विभाग के आप्त सचिव/समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य/ मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/ विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, झारखण्ड/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग 3307

अधिसूचना

दिनांक 10/9/18

झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति को दिए जानेवाले आरक्षण के लाभ से वंचित कई जातियों यथा भुईहर मुण्डा, खूँटकटी मुण्डा, कपाट मुण्डा, लोहार, घटवाल एवं चिकबड़ाईक आदि के विषय पर विचार करने हेतु माननीय मंत्री श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में गठित उपसमिति की दिनांक– 29.08.18 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में उप समिति के कार्यकाल को पत्र निर्गत की तिथि से तीन माह के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री–सह– अध्यक्ष, झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

4. विभागीय अधिसूचना सं०– 2767, दिनांक– 13.09.17 में समिति का कार्यकाल के अतिरिक्त अन्य सभी बिन्दु एवं निर्देश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10/9/2018

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : 2/टी०ए०सी० (उप समिति)–111/2017 3307 राँची, दिनांक : 10/9/18

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कल्याण विभाग के आप्त सचिव/समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य/ मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/ विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, झारखण्ड/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/9/2018

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

6.9.18